

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांकः 26 / 2013

पत्रांकः मान्यता / 887

/ 2013–14

दिनांकः— 29 जून, 2013

प्रबंधक,

श्यामा देवी पब्लिक स्कूल, बमनौली
विकासखण्ड—नौरंगिया, कुशीनगर।

विषयः— नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक: 20.09.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं श्यामा देवी पब्लिक स्कूल, बमनौली विकासखण्ड—नौरंगिया, कुशीनगर को दिनांक: 01 जुलाई, 2013 से दिनांक: 30 जून, 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए हिन्दी माध्यम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि: शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने जैसे इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

रु

- (i.) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;
- (ii.) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ;
- (iii.) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (iv.) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ;
- (v.) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
- (vi.) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii.) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
- (viii.) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाद्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 30 डिं

कुल निर्मित क्षेत्र— 3500 वर्गफीट ।

क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल— 1500 वर्गफीट ।

कक्षाओं की संख्या— 5

प्रधानाध्यापक—सह कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष— 3

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— 4

पेयजल सुविधा— इण्डिया मार्का हैण्डपम्प ।

मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई—

बाधारहित पहुंच—

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करणों/पुस्तकालय की उपलब्धता—

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

10. विद्यालय भवनों यां अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

4R

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालया को आंवटित मान्यता कोड संख्या के **26/2013** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर।



**Office of the District Basic Education Officer
KUSHI NAGAR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SHYAMA DEVI PUBLIC SCHOOL, VILL- BABHNAULI, POST-BARWA BAZAR, BLOCK-NEBUA NAURANGIYA, DIST- KUSHINAGAR, U.P, 27** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to SHYAMA DEVI PUBLIC SCHOOL is **KUS0959871646**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE **20-07-2023(DD/MM/YYYY)**

3. Recognition Type **Old**

4. School Type **Upper Primary School(6 to 8)**

5. Recognition No. **KUS0959871646**

DATE:- 20-07-2023

PLACE:- KUSHI NAGAR

District Basic Education Officer
Signature valid
Digital Signature ID: 1234567890
Date: 2023-07-20 12:23:06
Reason: For Digital Signature
Location: KUSHI NAGAR

